अति आवश्यक

कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2023–24/ 270 दिनांक :– 21-09-2023

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
   स्कूल शिक्षा विभाग, संभाग.................
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक मुख्यालय,.............
3. जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक (विधि),
   जयपुर/जोधपुर

MOST URGENT

विषय :– राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों के बिलों के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग:– इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 239 दिनांक 14.09.2023

——0——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग में लेख हैं कि राजस्थान पत्रिका प्रकाशन ने विभाग को यह अवगत करवाया हैं कि उनके समाचार पत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों के बिल भुगतान हेतु लम्बित पड़े हैं, जिसे शासन/वित्त विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा हैं। अतः इस संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचना चाही गई थी, जो कि आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आपके कार्यालय में बकाया विज्ञापन बिलों का भुगतान आगामी 03 दिवस में करवाया जाना सुनिश्चित करावें। यदि इस हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हैं तो संबंधित लेखामद में बजट मांग पत्र/निम्न प्रारूप में सूचना तैयार कर आज ही विभाग की मेल आईडी caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि मांग अनुरूप बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सकें।

क्र.सं.	विज्ञापन के बिलों की कुल राशि	जिन बिलों को भुगतान कर दिया गया हैं	बकाया बिलों के भुगतान की राशि	मांग पत्र भेजने की दिनांक

इसे अत्यावश्यक समझा जावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(संजय धवन)
वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25577/2023–24/ 270 दिनांक :– 21-09-2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय–1 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि आपके कार्यालय में यदि बिल बकाया हैं तो भुगतान की शीघ्र कार्यवाही करावें।
3. मुख्य लेखाधिकारी, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग/संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि आपके कार्यालय में यदि बिल बकाया हैं तो भुगतान की शीघ्र कार्यवाही करावें।
4. उप निदेशक (प्रशासन/समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देश हैं कि कार्यालय में लम्बित विज्ञापन बिलों का शीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भी यदि विज्ञापनों के बिल बकाया चल रहे हैं तो उनके शीघ्र निस्तारण करवाने की कार्यवाही करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट (स. निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर